न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी- श्री प्रदीप सिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- टी0ए0 59 सन 2022

पंजीयन दिनांक :- 15.09.2022

1. बगदीराम पिता नारायण मेघवाल निवासी बम्बोरा जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
2. रुकमणी बाई पिता नारायण पत्नी सवाजी मेघवाल निवासी बम्बोरा जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ, हाल निवासी- सोमपुर तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ

-अपीलांटगण

विरुद्ध

1. गोपीलाल पिता वरदीचन्द धाकड निवासी- बम्बोरा जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
3. नानालाल पिता वरदीचन्द धाकड निवासी- बम्बोरा जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
4. चम्पालाल पिता हिरालाल धाकड निवासी- बम्बोरा जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
5. नन्दलाल पिता धन्ना मेघवाल निवासी- बम्बोरा जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
6. हुक्मीचन्द पिता धन्ना मेघवाल निवासी- बम्बोरा जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
7. नानालाल पिता धन्ना मेघवाल निवासी- बम्बोरा जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
8. बाबरी पिता धन्ना मेघवाल निवासी- बम्बोरा जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

-रेस्पोडेन्टगण

अपील विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी
प्रकरण संख्या 57/2018 आदेश दिनांक 17.08.2022

उपस्थित- 1. खुमराज कुमावत- अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. चन्दनमल जणवा- अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय

दिनांकः-20.12.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुये ग्राम बम्बोरा जागीर में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की खातेदारी आराजी संख्या 70 किस्म बीड़ उनके नाम पर दर्ज रेकार्ड है तथा आराजी संख्या 75 रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6 के नाम अंकित होकर दोनो खातेदारान ने दुरभी संधि कर एक प्रार्थना-पत्र धारा 251 ए का प्रस्तुत करते हुए अंकित किया कि प्रार्थीगण की आराजी में जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी संख्या 71 रकबा 0.07 हैक्टर में से रास्ता विस्तारित कराना चाहते है। जिस पर प्रार्थीगण 50 सालों से आने जाने के लिये उपयोग में काम में ले रहे है। इसके अतिरिक्त ओर कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को रास्ता नही दिया गया तो वे अपनी आराजी का उपयोग उपभोग नही कर पायेंगे अतः विपक्षीगण की आराजी संख्या 71 रकबा 0.07 हैक्टर में से बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिये रास्ता कायम किया जावें। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते के काम में आने वाली कृषि भूमि का मुआवजा न्यायालय आदेशानुसार अदा कराने के लिए तैयार है जिस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये। जिस पर विपक्षी की ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि आराजियात पर आने जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग आराजी नम्बर 74 व 73 के बीच मौजुद है। जिस पर मौका रिपोर्ट तलब की जाकर आराजी नम्बर 71 में से 8 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा कुल 72 वर्गमीटर रास्ता कायम किया जाकर उसका नियमानुसार मुआवजा 11,720 रू0 विपक्षीगण को अदा करने के निर्देश पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने का आदेश पारित किया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटगण की ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दी गई। अधीनस्थ न्यायालय रेकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में मौका कमिश्नर के जवाब के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नही बनाई है। 251 ए में सुगम एवं सुविधाजनक रास्ता दिलाये जाने का प्रावधान नही है तथा अपीलांट का आदेश 26 नियम 9 का आवेदन व प्राथमिक आपत्ति को गलत रूप से खारिज करते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया उसे निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपील का जवाब देते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार रिपोर्ट तलब की। उसके पश्चात उक्त रिपोर्ट पर अपीलांट की आपति होने के कारण पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। दोनो ही मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग का अभाव होने से तथा आराजियात पर पहुंचने का एक ही मार्ग दर्शित किया, उसी अनुसार निर्णय पारित किया जो विधिसम्मत होकर अपीलांट की अपील निरस्त फरमाई जावें।

मैने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी ओर पत्रावली का अवलोकन किया गया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न मौका रिपोर्ट से स्पष्ट ज्ञात होता है कि रेस्पोडेंट के आराजी नम्बर 70 व 75 पर आने जाने का कोई वैकल्पिक मार्ग मौजूद नही है तथा आराजी नम्बर 71 में रास्ता होकर अपीलांट द्वारा बंद करने से रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दोनो ही मौका रिपोर्ट में एक ही रास्ता होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी के प्रकरण संख्या 57/2018 निर्णय व आदेश दिनांक 17.08.2022 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को पालना हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ